15

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

रामप्रताप बनाम सरपंच, ग्राम पंचायत डूँगरसिंहपुरा व जगदीश वगैरा

निगरानी पंचायत प्रकरण सं. 58 / 2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
26.11.14	निगरानीकर्ता के अधिवक्ता उपस्थित। निगरानी बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। निगरानी में मियाद के बिन्दू पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाती है। स्थगन प्रार्थना पत्र पर निगरानीकर्ता के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। निगरानीकृत पट्टा वर्ष 1975 में पंचायत द्वारा जारी किया गया है, जिसे निरस्त कराने का अनुतोष प्रस्तुत निगरानी के माध्यम से चाहा गया है। ऐसी स्थिति में एकपक्षीय स्थगन पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थीगण की तलबी के उपरांत दोनों पक्षों को सुनकर गुणदोष के आधार पर स्थगन आदेश पारित किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को तलब किया जावे। पुनश्चय : इतना लिखने पर, अप्रार्थी सं0 दो की ओर से कैवियट प्रार्थना पत्र, वकालतनामा,नोटिस एवं रजि0 लिफाफा एवं ए0डी0 पेश की गई। अप्रार्थी सं0 दो की ओर से श्री प्रेमचन्द सेवटा अधिवक्ता उपस्थित आये – जिन्हें निगरानी की प्रति उपलब्ध कराई गई। अप्रार्थी सं0 एक व तीन को जरिये नोटिस तलब किया जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 3–12–14 को बहस स्थगन प्रार्थना पत्र हेतु पेश हो।	
03.12.14	पीठासीन अधिकारी अवकाश भ्रमण पर .... कार्य में व्यस्त है। पक्ष कासन के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 15.12.14 को पेश हो।	
15.12.14	बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे है। पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर है। पत्रावली दिनांक 26.12.14 को पेश हो।	
26.12.14	अभिभाषक उभय पक्ष उप०। अप्रार्थी स. 1 व 3 को जारी नोटिस - अप्राप्त। रिकॉर्ड अप्राप्त। पत्रावली दिनांक 02.02.15 को बहस स्थगन प्रा० पत्र हेतु पेश हो।	
02.02.15	पीठासीन अधिकारी अवकाश भ्रमण पर पंचा० चुनाव कार्य में व्यस्त है। पक्ष कासन के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 04.03.15 को पेश हो।	

20/5/2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगरानीकर्ता एवं निगरानीकर्ता उपस्थित नही। अधिवक्ता निगरानीकर्ता एवं निगरानीकर्ता को पृथक–पृथक समय पर रूक–रूक कर बार–बार आवाजे लगाई गई, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए । ऐसी स्थिति में निगरानी अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकार्ड लौटाया जावें । पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें व बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा कराई जावे।

आदेश सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)